न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 188/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

भंवरलाल पुत्र पूराराम उम्र 70 वर्ष जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ग्राम करणीपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– वादी/प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये– तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत् उदघोषणा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानिया, वकील वादी ओर सें।

निर्णय दिनांक –04.02.2020

1 वादपत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का कुली भू. अ.नि. क्षैत्र करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.) की तन में अवस्थित वादी एवं अन्य सह–खातेदार संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल ख.नं. 130, 130/273, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149/286, 150/283, 151, 152, 153, 155/282, 94, 95, 96 कुल किता 26 कुल रकबा 18.97 है0 में से 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है जो संलग्न वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से पूर्णतया प्रमाणित है। वादाधीन कृषि आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम एवं जाति **भंवरीलाल पुत्र पूराराम जाति स्वामी** दर्ज है जबकि वादी के समस्त लोक दस्तातेजात (आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पास बुक आदि) में वादी का नाम **भंवरलाल पुत्र पूराराम** दर्ज है एवं पुराने राजस्व रिकार्ड में भी वादी की जाति कुमावत/कुम्हार दर्ज है तथा इसी अनुरूप ही राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम दर्ज होना चाहिये था किन्तु वादाधीन कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भंवरीलाल पुत्र पूराराम एवं जाति स्वामी दर्ज है जिस वजह से वादी राज्य सरकार

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

से मिलने वाले लाभ एवं कम ब्याज पर काश्त के लिए बैंक से प्राप्त होने वाले किसान कार्ड के रूप में कृषि ऋण प्राप्त करने मे कठिनाई आती है तथा न ही वादी अपने हक हिस्से की भूमियों में फसल खराब होने से राज्य सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि प्राप्त कर पाता है इसलिए वादी वादाधीन भूमि में अपना नाम अपने लोक दस्तावेज के अनुसार एकरूपता के लिए भंवरलाल पुत्र पूराराम जाति कुमावत (कुम्हार) दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी से वादाधीन भूमि में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पुत्र पूराराम एवं जाति कुमावत दर्ज किये जाने का कई बार निवेदन कर चुका है किन्तु प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधन नहीं किये जाने पर वादी को माननीय न्यायालय में वाद संस्थित कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भंवरीलाल पुत्र पूराराम जाति स्वामी के स्थान पर भंवरलाल पुत्र पूराराम जाति कुमावत (कुम्हार) उदघोषित करवाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधित करवाया जाना आवश्यक हो जाने से वाद बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड संशोधन का संस्थित करना लाजिम हुआ है। वाद कारण वादी द्वारा वादाधीन भूमियां में भंवरीलाल पुत्र पूराराम जाति स्वामी के स्थान पर अपना वास्तविक एवं लोक दस्तावेज के अनुसार सही नाम भंवरलाल पुत्र पूराराम जाति कुमावत (कुम्हार) दर्ज करने का प्रतिवादी से आग्रह करने पर प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधित करने से मना करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद वर्णित कृषि आराजियात में दर्ज वादी का नाम **भंवरीलाल पुत्र पूराराम जाति स्वामी** के स्थान **भंवरलाल पुत्र पूराराम जाति कुमावत (कुम्हार)** उदघोषित किया जावे तथा तद्नुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाकर राजस्व रिकार्ड संशोधन किया जावे।

2 वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सहखातेदार प्रेमचन्द पुत्र दूदाराम के बयानात लिये गये। सहखातेदार ने वादी के नाम व जाति में वांछित संशोधन हेतु अनापत्ति जाहिर की। वादपत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। सहखातेदार के बयानात का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है अतः **प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदार के बयानात तथा ग्राम पंचायत कुली के प्रमाण पत्र के आधार पर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला की भूमि खसरा नम्बर 130, 130/273, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149/286, 150/283, 151, 152, 153, 155/282, 94, 95, 96 कुल किता 26 कुल रकबा 18.97 हैक्टर में वादी का नाम भंवरीलाल पुत्र पूराराम जाति स्वामी के स्थान भंवरलाल पुत्र पूराराम जाति कुमावत (कुम्हार) उदघोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

भंवरलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 188 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक 04.02.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **ग्राम करणीपुरा पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ जिला की भूमि खसरा नम्बर 130, 130/273, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149/286, 150/283, 151, 152, 153, 155/282, 94, 95, 96 कुल किता 26 कुल रकबा 18.97 हैक्टर में वादी का नाम भंवरीलाल पुत्र पूराराम जाति स्वामी के स्थान भंवरलाल पुत्र पूराराम जाति कुमावत (कुम्हार) उदघोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ